

मिसिल संख्या ए-60011/7/2003-पी एच (सी डी एल )

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वी.बी.डी. अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली।

दिनांक : 24 अक्टूबर, 2016

सूचना

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय - राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायक के पद के मसौदा भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में अपनी टिप्पणी/आपत्तियां इस सूचना के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने के 30 दिनों के भीतर प्रेषित करें। 30 दिनों के बाद प्राप्त हुई टिप्पणी/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अम्बा दत्त बवाडी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष :- 23061510

सहायक पद हेतु भर्ती नियमावली  
राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय  
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय- दिल्ली-54

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अयोग्य शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
सहायक	6 (छः)	गुप 'बी' अराजपन्नित अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 2 9300 रु.- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	वरीयता आधार पर प्रोन्नति द्वारा चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा 100%

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)  एसे यूडीसी/यूडीसी-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर की 100% प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>(12)  1. एनवीबीडीसीपी के प्रभासी उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (अध्यक्ष)  2. अपर निदेशक, एनवीबीडीसीपी (सदस्य)  3. निदेशक (ए&amp;वी), स्वा.सेवा महानिदेशालय (सदस्य)  4. डीडीए, पीएच (सीडीएल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (सदस्य)</p>	<p>(13)  लागू नहीं</p>